

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2019/00203

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम, जयपुर।

हनुमान बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी

किस्म मुकदमा:—अपील धारा 75 गुराजस्व अधिनियम नम्बर 259 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.19	<p>पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित, उनकी बहस सुनी गई, उनकी बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्त द्वारा तहसीलदार बस्सी के सीमाज्ञान आदेश दिनांक 14.06.2019 के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जबकि सीमाज्ञान के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की अपील पर न्यायालय हाजा के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर जयपुर को भिजवाई जावे तथा न्यायालय हाजा में दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

(के०सी०वर्मा)

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।